राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

ुदमा नम्बर– 119 / 2022

बारसीलाल पुत्र श्योलाराम उम्र 78 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

......आवेदक

ब–ना–म

1. शान्ति देवी पत्नी बहादुर
2. कैलाश पुत्र बहादुर
   जाति गुर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मुन्नी पुत्री स्व. बहादुर पत्नी प्रकाश जाति गुर्जर निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. नानची पुत्री स्व. बहादुर पत्नी शीशराम जाति गुर्जर निवासी बसन्त बिहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. सुमित्रा पुत्री स्व. बहादुर पत्नी रोहिताश जाति गुर्जर निवासी खटाणा की जोहड़ी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. लीला पुत्री स्व. बहादुर पत्नी बबलू जाति गुर्जर निवासी खटाणा की जोहड़ी तन् जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. बलबीर पुत्र स्व. बहादुर जाति गुर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. गोरधन पुत्र गंगूराम
9. बजरंग पुत्र नाथा
10. बंशी पुत्र गंगूराम
11. हरीराम पुत्र गंगूराम
12. दड़कली पत्नी जैना
13. बनवारी पुत्र गंगूराम
14. रामेश्वर पुत्र नाथाराम
15. बिलास पुत्र गंगूराम
    जाति गुर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
16. मालाराम पुत्र श्योराम
17. स्योराम पुत्र माडूराम
    जाति गुर्जर निवासी बेसरड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
18. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
19. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
21. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:23 IST
Reason: SelfAttested

......अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित अधिवक्ता :—

श्री शीशराम सैनी — प्रार्थी की ओर से

श्री गिरधारी लाल सैनी — अप्रार्थी सं. 8, 11 व 14 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 02—09—2022

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम वा तहसील खेतड़ी स्थित खाता सं. 111 में दर्ज भूमि ख.नं. 212 रकबा 0.09 है., ख.नं. रकबा 0.66 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है. का आवेदक खातेदार काश्तकार रिकार्ड है। आवेदक की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नंबर 220 रकबा 0.66 है., ख. 212 रकबा 0.09 है. में मौके पर कोई कटानी रास्ता नहीं है। उक्त भूमि में आने जाने व त आदि के लिए ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का मौके पर कोई रास्ता नहीं है उक्त के सटकर हाल ख.नं. 221 व 219 की भूमि लगती है ख.नं. 221 व 219 के सटकर पर पुख्ता सड़क बिलवा से नंगली जाने वाली लगती है। आवेदक अपनी भूमि खेत . 220, 212 को काफी वर्षों से काश्त करने से वंचित हो रहा है। आवेदक ने पूर्व में ा चाहने हेतु भूमि ख.नं. 221 से लेने हेतु आवेदन मु.नं. 63/2014 पेश किया था। प्रकरण का निर्णय दिनांक 22.03.2022 को कर दिया गया। उक्त निर्णय में आवेदक उसकी खातेदारी की भूमि ख.नं. 220 में रास्ते का मौके पर विकल्प ख.नं. 219 में से पाया गया जो ख.नं. 221 की सीमा के सटकर है। ग्राम बिलवा स्थित भूमि ख.नं. 219 ा सं. 102 की भूमि है। खाता सं. 102 में स्थित भूमि हाल ख.नं. 217 रकबा 0.04 है., . 218 रकबा 0.44 है., ख.नं. 219 रकबा 0.43 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है. के वर्तमान खातेदार अनावेदकगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि अनावेदकगण संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से अनावेदकगण को पक्षकार बनाया गया है। आवेदक ी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 220 में जाने के रास्ते की भूमि के बदले में वेदकगण को भूमि देने को तैयार है तथा उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर का ान करने को तैयार है। आवेदक के खेत खसरा नंबर 220 में पुख्ता सड़क से काश्त ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का अन्य कोई मौके पर विकल्प में रास्ता नहीं है मात्र ख. 219 में से ही रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिये यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम बिलवा तहसील खेतडी स्थित ख.नं. 220 में आने जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता ख.नं. 219 की भूमि में से ख.नं. की सीमा के सहारे—सहारे पुख्ता सड़क बिलवा से नंगली जाने वाली तक नजरी नक्शे ाल स्याही मार्क में दर्ज एक्स से वाई मार्क से रास्ता दिल... ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर ... जरिये नोटिस ी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 8, 11, 14 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न किया है कि हाल ख.नं. 220, 221 पूर्व में एक ही खातेदार नोप सिंह राजपूत सी बिलवा की खातेदारी में थे इसमें से ख.नं. 220 प्रार्थी ने खरीद लिया और ख.नं. अप्रार्थी सं. 1 लगा. 7 ने खरीद लिया। ख.नं. 220 में आने जाने साधन लाने ले जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ख.नं. 221 की दक्षिणी पूर्व म्याल से रास्ता जाता था लेकिन प्रार्थी ने इस रास्ते को न में कटवाने के लिए न्यायालय श्रीमान जी में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी 1 लगा. 7 ने इस रास्ते पर कच्चा निर्माण कर लिया इस निर्माण के बाद प्रार्थी इस ण से उत्तर पश्चिम दिशा से अपने खेत ख.नं. 220 में आता जाता है और साधन लाता जाता है इस प्रकार प्रार्थी का आज भी रास्ता ख.नं. 221 में से ही है। ख.नं. 219 में ार्थी का कभी कोई रास्ता नहीं रहा ना ही आज है। अप्रार्थीगण ने अपने खेत ख.नं. की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर वर्षों से पत्थर डलवा रखे हैं। प्रार्थी को कोई अधिकार है कि वह अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता कटान में कटवाये। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि को हमेशा काश्त करके फसल उगाता है। प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश किया का निर्णय न्यायालय श्रीमान जी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध किया गया उस निर्णय के द्ध प्रार्थी को अपीलीय न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिए थी। अप्रार्थीगण की भूमि ं. 219 से रास्ता प्रार्थी के लिए कतई संभव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक से ही पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण सं. 1 से 7, 9, 10, 12, 13 व 15 से 20 बावजूद सम्यक् सूचना के परिथत रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की र्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/84 दिनांक 05.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

ख.नं. 220 में कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
चाहा गया रास्ता 12 फिट चौड़ा है।
ख.नं. 220 में सबसे लघुत्तम रास्ता ख.नं. 219 में से लगता है।
ख.नं. 219 में लगभग 22 मीटर रास्ता प्रस्तावित लगता है जिसका कुल क्षेत्रफल 22 x 3.66 = 80.52 वर्गमीटर है जिसकी डी.एल.सी. दर 6570/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी राशि 6570X2 = 13140/– रूपये हैं।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र के साथ पटवारी हल्का बीलवा व भू–अभिलेख क्षक वृत खेतड़ी की संयुक्त मौका रिपोर्ट मूल ही संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल वली की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित े का नजरी नक्शा, नकल नक्शा किश्तवार ग्रामी बीलवा, नकल जमाबन्दी संवत् 6–2079 खाता सं. 102, खाता सं. 111 ग्राम बीलवा, नकल निर्णय दिनांक 22.03.2022 पत्र संख्या 63/2014 उनवानी बारसीलाल बनाम बहादुर आदि पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय ावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का बीलवा, भू–अभिलेख निरीक्षक ड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी र्ट दिनांक 11.05.2022 के संलग्न नजरी नक्शा पटवारी हल्का बीलवा में स्पष्ट किया के प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता प्रार्थी के लिए उपलब्ध है। प्रार्थी को खसरा नंबर 220 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 219 में से प्रस्तावित (नजरी में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आनी वाली भूमि का फल 22x3.66 = 80.52 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

॥ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 55 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 11.05.2022 के प्रार्थी का प्रार्थना ॥ स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बीलवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 220 कबा 0.66 है. में जाने के लिए आम रास्ता बीलवा से नंगली (डामर सड़क) से अप्रार्थीगण . 1 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 219 रकबा 0.43 है. में से 22x3.66 = .52 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 220 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की कम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से .52 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 13140/–रू. (अक्षरे तेरह हजार एक सौ चालीस पये) प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा बर 219 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 13140/– नियमानुसार दा करेंगें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 219 के रकबे में से रास्ते की बाबत 80.52 र्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म ''गैर मुमकीन रास्ता'' के रूप में जकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 02–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:23 IST
Reason: SelfAttested